

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9316

दिनांक - 19.11.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 किस्तुरी पत्नि पूनमाराम
2 बाबु लाल 3 भोपाराम 4
हेमाराम पिसरान पूनमाराम
5 जेताराम पुत्र पदमाराम
जाति जाट निवासी
गालाबेरी तसहील तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 भारूराम पुत्र केहराराम वगौराह जातियान जाट
निवासी गालाबेरी तसहील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 401/2025

दिनांक- 11/11/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गालाबेरी पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या क्रमशः 978/463, 990/463, 1004/356, 989/463, 992/463 रकबा
क्रमशः 12.2215, 0.7284, 0.8579, 0.3237, 0.0890 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 19.11.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9317 - 9320

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी किस्तुरी पत्नि पूनमाराम जाति जाट निवासी गालाबेरी तसहील तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भारूराम पुत्र केहराराम वगौराह जातियान जाट निवासी गालाबेरी तसहील तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर